रजिस्ट्री सं० डी०—(डी एन)—128 REGISTERED NO. D—(DN)—128

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 3, 1987 (आश्विन 11, 1909)
No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 3, 1987 (ASAVINA 11, 1909)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate Compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचना सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications Including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

शहरी बैंक विभाग

"दि आर्केड", विश्व व्यापार केन्द्र

बम्बई–400005, दिनांक 10 सितम्बर 1987

संदर्भ यू० बी० डी० सं० बी० आर० 91/ए० 18–87/88—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के खण्ड (एक) के साथ पठित धारा 36क की उपधारा (2) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा यह अधिसूचित करता है कि वेतनभोगियों की निम्नलिखित समिति उक्त अधिनियम के अर्थ के अन्तर्गत अब सहकारी बैंक नहीं रही है ।—

समिति का नाम	राज्य
सेक्सरिया कॉटन मिल्स वर्कर्स को०–आपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि०, सेक्सरिया कॉटन मिल्स लि०, डिलाइल रोड, बम्बई–400013 ।	महाराष्ट्र

बी० एल० जैन
मुख्य अधिकारी

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, दिनांक 19 अगस्त 1987

सं० ए० डी० एम०/38451—इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में निम्नलिखित नियुक्ति अधिसूचित की जाती है :—

श्री के० के० दास, शीर्ष प्रबन्धन श्रेणीमान–6 ने उप-महाप्रबन्धक, केन्द्रीय लेखनसामग्री विभाग, कलकत्ता का कार्यभार 12 अगस्त 1987 से ग्रहण कर लिया है ।

दिनांक 27 अगस्त 1987

सं० ए० डी० एम०/38450—इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में निम्नलिखित नियुक्ति अधिसूचित की जाती है :—

श्री एन० नारायणन, अधिकारी, शीर्ष कार्यपालक प्रबन्धन श्रेणी–6 ने उप महाप्रबन्धक, बैंकिंग परिचालन विभाग, केन्द्रीय कार्यालय का कार्यभार 1 अगस्त 1987 से ग्रहण कर लिया है ।

दिनांक 3 सितम्बर 1987

सं० ए० डी० एम०/38449—इसके द्वारा बैंक के स्टाफ में निम्नलिखित नियुक्ति अधिसूचित की जाती है :—

श्री श्रीनिवास राव, अधिकारी, शीर्ष प्रबन्धन श्रेणीमान–7, ने महाप्रबन्धक (औद्योगिक पुनर्वास), केन्द्रीय कार्यालय का कार्यभार 31 अगस्त 1987 से ग्रहण कर लिया है ।

सी० आर० विजयराघवन
मुख्य महाप्रबन्धक
(कार्मिक एवं मानव संसाधन विकास)

दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली–110001, दिनांक 9 सितम्बर 1987

श्री जी० सी० जैन, अधिकारी, क० व० प्र० श्रेणी–I, ने दिनांक 9–12–86 से जी० टी० रोड शाहदरा में क्षेत्र अधिकारी का पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला ।

श्री पी० एस० अग्रवाल, अधिकारी क० व० प्र० श्रेणी–I ने दिनांक 15–1–87 से रेलभवन शाखा में लेखापाल का पूर्णरूप से कार्यभार संभाला ।

श्री एस० एन० शर्मा, अधिकारी, म० व० प्र० श्रेणी–III, ने दिनांक 4–12–86 से के० जी० मार्ग शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला ।

श्री एम० आर० मल्होत्रा, अधिकारी, म० व० प्र० श्रेणी–II, ने दिनांक 13–7–85 से सीमापुरी शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला ।

श्री के० के० सक्सेना, अधिकारी, म० व० प्र० श्रेणी–II, ने दिनांक 26–2–87 से इन्द्रपुरी शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला ।

श्री एस० के० कथूरिया, अधिकारी, क० व० प्र० श्रेणी–I, ने दिनांक 15–7–86 से गाजीपुर शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला ।

श्री वी० आर० यादव, अधिकारी, क० व० प्र० श्रेणी–I, ने दिनांक 9–7–86 से के० जी० मार्ग शाखा में लेखापाल का पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला ।

श्री एस० डी० ढींगरा, अधिकारी, म० व० प्र० श्रेणी–II, ने दिनांक 4–11–86 से गान्धी नगर शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला ।

श्री डी० डी० अरोड़ा, अधिकारी, म० व० प्र० श्रेणी–III, ने दिनांक 15–11–85 से कनॉट सर्कस शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्णरूप से कार्यभार संभाला ।

श्री आर० पी० शर्मा, अधिकारी, क० व० प्र० श्रेणी–I, ने दिनांक 3–2–87 से ईस्ट पार्क रोड शाखा में लेखापाल का पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला ।

श्री एस० के० गुप्ता, अधिकारी, म० व० प्र० श्रेणी–III, ने दिनांक 26–8–85 से मरीना आरकेड शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला ।

श्री पी० पी० खुराना, अधिकारी, क० व० प्र० श्रेणी–I, ने दिनांक 26–8–85 से मरीना आरकेड शाखा में लेखापाल का पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला ।

श्री बी० एल० मलूजा, अधिकारी, क० व० प्र० श्रेणी–I, ने दिनांक 20–5–85 से निर्माण भवन शाखा में लेखापाल का पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला ।

श्री जे० एन० कपूर, अधिकारी, क० व० प्र० श्रेणी–I, ने दिनांक 16–5–86 से चन्द्रलोक बिल्डिंग शाखा में प्रबन्धक (पी) का पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला ।

श्री एस० के० कोहली, अधिकारी, क० व० प्र० श्रेणी–I, दिनांक 15–4–86 से चन्द्रलोक बिल्डिंग में लेखापाल का पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला ।

श्रीमती उषा नायर, अधिकारी म० व० प्र० श्रेणी–II, ने दिनांक 1–10–85 से मदर डेयरी शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला ।

श्री एस० सी० खन्ना, अधिकारी, म० व० प्र० श्रेणी–II, ने दिनांक 3–1–87 से पूसा रोड शॉपिंग सेण्टर शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला ।

श्री सी० एम० सेठी, अधिकारी, क० व० प्र० श्रेणी–I, ने दिनांक 2–8–86 से पूसा रोड शॉपिंग सेण्टर शाखा में लेखापाल का पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला ।

श्री एम० एम० मलकानी, अधिकारी, क० व० प्र० श्रेणी–I, ने दिनांक 15–12–86 से इन्द्रपुरी शाखा में लेखापाल का पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला ।

श्री एस० के० मल्होत्रा, अधिकारी, म० व० प्र० श्रेणी–III, ने दिनांक 22–11–86 से सेण्ट्रल सैक्रेट्रिएट शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला ।

श्री के० के० अग्रवाल, अधिकारी क० व० प्र० श्रेणी–I, ने दिनांक 26–7–85 से होजकाजी शाखा में लेखापाल का पूर्णरूप से कार्यभार संभाला ।

श्री पी० के० गान्धी, अधिकारी, म० व० प्र० श्रेणी–II, ने दिनांक 18–3–87 से पदम सिंह रोड शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला ।

श्री जे० जी० आहूजा, अधिकारी, म०व० प्र० श्रेणी–II, ने दिनांक 31–7–85 को पदम सिंह रोड शाखा में प्रबन्धक (पी० बी० डी०) का पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला ।

श्री एस० सी० सिक्का, अधिकारी, म० व० प्र० श्रेणी–II, ने दिनांक 30–7–86 से आसफअली रोड शाखा में प्रबन्धक (पी) का पूर्णरूप से कार्यभार संभाला ।

श्री सी० मल्होत्रा, अधिकारी, क० व० प्र० श्रेणी–I, ने दिनांक 1–12–86 से आसफअली रोड शाखा में क्षेत्र अधिकारी का पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला ।

श्री आई० डी० खन्ना, अधिकारी, म० व० प्र० श्रेणी–II, ने दिनांक 24–4–86 से डी० एम० एस० शादीपुर शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला ।

श्री के० जी० भार्गव, अधिकारी, क० व० प्र० श्रेणी–I, ने दिनांक 11–10–86 से कृष्णा नगर शाखा में प्रबन्धक (पी) का पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला ।

श्री जे० पी० मलिक, अधिकारी, क० व० प्र० श्रेणी–I, ने दिनांक 11–9–85 से बोण्डा शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला ।

श्री ओ० पी० बिश्नोई, अधिकारी, म० व० प्र० श्रेणी–II, ने दिनांक 26–2–87 से प्रबन्धक (एस० आई० बी०) का जी० टी० रोड शाहदरा शाखा में पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला ।

श्री आई० सी० जैन, अधिकारी, म० व० प्र० श्रेणी–II, ने दिनांक 25–11–86 से सेण्ट्रल सेक्रेट्रिएट शाखा में प्रबन्धक (पी) का पूर्णरूप से कार्यभार संभाला ।

श्री आर० के० मेहरोत्रा, अधिकारी, क० व० प्र० श्रेणी–I, ने दिनांक 18–4–87 से स्वास्थ्य विहार शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला ।

सुश्री शर्मिला मलकाणी, अधिकारी, क० व० प्र० श्रेणी–I, ने दिनांक 18–3–87 से संसदीय सौध शाखा में लेखापाल का पूर्णरूप से कार्यभार संभाला ।

श्री ओ० पी० नागपाल, अधिकारी, क० व० प्र० श्रेणी–I, ने दिनांक 2–4–87 से स्वास्थ्य विहार शाखा में लेखापाल का पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला ।

श्री ए० के० कोचर, अधिकारी, क० व० प्र० श्रेणी–I, ने दिनांक 1–4–87 से अजमलखाँ रोड शाखा में क्षेत्र अधिकारी का पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला ।

श्री एस० सी० कपूर, अधिकारी, क० व० प्र० श्रेणी–I, ने दिनांक 21–4–87 से फतेहपुरी शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला ।

श्री बी० के० सरीन, अधिकारी, व० व० प्र० श्रेणी–IV, ने दिनांक 20–4–87 से अजमलखाँ रोड शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्णरूप से कार्यभार संभाला ।

श्री सुरिन्द्र कुमार, अधिकारी, म० व० प्र० श्रेणी–II, ने दिनांक 8–5–87 से ईस्ट पटेल नगर शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला ।

श्री के० सी० जैन, अधिकारी, म० व० प्र० श्रेणी–III, ने दिनांक 9–6–87 से न्यू राजिन्द्र नगर शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला ।

श्री जुगल किशोर, अधिकारी, क० व० प्र० श्रेणी–I, ने दिनांक 28–6–83 को नन्द नगरी शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला ।

श्री बी० के० चिचरा, अधिकारी, क० व० प्र० श्रेणी–I, ने दिनांक 11–4–85 से चावड़ी बाजार शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्णरूप से कार्यभार संभाला ।

श्री एम० पी० सिंह, अधिकारी क० व० प्र० श्रेणी–I, ने दिनांक 13–2–87 को फाउण्टेन शाखा में लेखापाल का पूर्ण-रूप से कार्यभार संभाला ।

श्री एस० के० जैन, अधिकारी, क० व० प्र० श्रेणी–I, ने दिनांक 11–6–87 से न्यू रोहतक रोड शाखा में प्रबन्धक (पी) का पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला ।

श्री जे० एस० अहलूवालिया, अधिकारी, व० व० प्र० श्रेणी–I, ने दिनांक 29–7–87 से आसफअली रोड शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला ।

श्री बी० आर० बब्बर, अधिकारी, म०व० प्र० श्रेणी–III, ने दिनांक 30–7–87 से अनाजमण्डी शाहदरा शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण पूर्णरूप से कार्यभार संभाला ।

श्री एच० श्रीवास्तव, अधिकारी, म० व० प्र० श्रेणी–II, ने दिनांक 2–7–85 से म्यूनिसिपल मार्केट शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला ।

श्री एच० एस० जोहर, अधिकारी, क० व० प्र० श्रेणी–I, ने दिनांक 27–5–86 से म्यूनिसिपल मार्केट शाखा में क्षेत्र अधिकारी का पूर्णरूप से कार्यभार संभाला ।

श्री एम० एल० अग्रवाल, अधिकारी, म० व० प्र० श्रेणी–III ने दिनांक 10-8-87 से चन्द्रलोक बिल्डिंग शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला ।

श्री आर० एस० खुराना, अधिकारी, म० व० प्र० श्रेणी–II, ने दिनांक 8–9–87 से आई० ओ० सी० लोधी इस्टेट शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला ।

श्री एम० के० नागपाल, अधिकारी, क० व० प्र० श्रेणी–I, ने दिनांक 20–8–87 से सी० जी० ओ० काम्पलेक्स शाखा (लोधी एस्टेट) में लेखापाल का पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला ।

श्री नरिन्द्र नाथ, अधिकारी, म० व० प्र० श्रेणी–II, ने दिनांक 22–8–87 से सी० जी० ओ० काम्पलेक्स शाखा में शाखा प्रबन्धक का पूर्ण रूप से कार्यभार संभाला ।

कृते भारतीय स्टेट बैंक
आलोक बतरा
क्षेत्रीय प्रबन्धक, क्षेत्र—4

इलाहाबाद बैंक प्रधान कार्यालय

कलकत्ता–700 001, दिनांक 14 सितम्बर 1987

सं० विधि/2/87—सा० का० नि०—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इलाहाबाद बैंक का निदेशक मण्डल भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है ।

2. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ :—(1) इन विनियमों का नाम इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम 1986 होगा । (2) ये 30–9–86 से लागू है ।

3. (क) इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 का विनियम—6(2) अब निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है :—

"6(2) : उप-विनियम (1) के अन्तर्गत पदों के वर्गीकरण के प्रयोजनार्थ बैंक की प्रत्येक शाखा सरकार द्वारा अनुमोदित मानदण्ड के अनुसार बैंक द्वारा लघु, मध्यम, बड़ी, बहुत बड़ी अथवा असाधारण रूप से बड़ी श्रेणी के रूप में वर्गीकृत की जाएगी।"

3. (ख) इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 12(2) के प्रारम्भ में अब "उप-विनियम (3) में किए गए प्रावधान को छोड़कर" शब्द जोड़ दिए गए हैं।

3. (ग) इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 के विनियम 12 के उप-विनियम (2) के बाद अब निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा गया है :—

"(3) किसी भी अधिकारी, जिसने उप-विनियम (1) में संदर्भित वरणाधिकार का प्रयोग किया है तथा जो उप-विनियम (2) के अनुसार नियत तिथि से ठीक पूर्व बैंक की सेवा में अपनी पात्रता के अनुसार वेतन तथा भत्ते लेना जारी रखता है, को 1-2-84 से इन विनियमों के अनुसार यथा प्रयोज्य वेतन तथा भत्ते वरण करने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रकार के वरणाधिकार का प्रयोग करने पर उसे नियत तिथि को विनियम 8 में संदर्भित तरीके से नए वेतनमान में सैद्धांतिक रूप से फिट किया जाएगा तथा 31-1-84 तक इन विनियमों के अनुसार उसे प्राप्त होने वाली वेतन-वृद्धियां उसे प्रदान करने के बाद, 1-2-84 को उसे विनियम 4(1) में निर्धारित वेतनमान में, इसके अन्तर्गत जारी सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार फिट किया जाएगा।

बशर्ते यदि किसी अधिकारी को उपर्युक्तानुसार फिटमेंट के बाद इन विनियमों के अन्तर्गत देय वेतन तथा भत्ते का योग उस वेतन तथा भत्ते के योग से जो उसे 31-1-84 को ऐसे फिटमेंट से पूर्व देय था, से कम है तो वह अन्तर उसे वैयक्तिक भत्ते के रूप में दिया जाएगा जो ऐसी प्रत्येक वेतनवृद्धि के 33 1/3 प्रतिशत तक की भावी वेतनवृद्धियों या ऐसी वेतनवृद्धियों के फलस्वरूप वेतन में वृद्धि के 33 1/3 प्रतिशत तक, जो भी कम हो, में आत्मसात किया जाएगा।"

3. (घ) इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 के विनियम 19 में कहीं भी आए "समिति" अथवा "विशेष समिति" शब्दों के बाद अब/"समितियां" अथवा/"विशेष समितियां" शब्दों को शामिल किया गया है।

3. (ङ) इलाहाबाद बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 के विनियम 30 को अब निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है :—

"30. बैंक किसी अधिकारी के नाम में, अकेले उसके या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ संयुक्त नाम में, जमा की गयी मियादी जमाराशियों, बचत जमाराशियों तथा आवर्ती जमाराशियों पर ब्याज की प्रचलित दर से 1% अतिरिक्त ब्याज दर अनुमत कर सकता है।"

एम० आर० सर्वाधिकारी,
सहायक महाप्रबन्धक (विधि)

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

नई दिल्ली-110002, दिनांक 22 सितम्बर, 1987

(चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स)

सं० 1-सी०ए०(7)/160/87—चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स विनियम 1964 में कतिपय संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जो चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38वां) की धारा 30 की उपधारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त अधिकारों द्वारा क्रियान्वित होना प्रस्तावित है, इससे होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों की सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है तथा एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि इस प्रारूप को 31 अक्तूबर 1987 को या उसके बाद विचारार्थ स्वीकार किया जाएगा।

कथित प्रारूप से संबंध में किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्धारित तिथि से पूर्व प्राप्त किसी भी आपत्ति अथवा सुझाव पर इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स आफ इंडिया की परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा।

वर्तमान विनियम 63 के लिए कथित विनियम में निम्न प्रकार से संशोधन का किया गया :—

63. चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या :—

(1) प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन मंडल से चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या निर्वाचन मंडल के सदस्यों की ऐसी संख्या, जिसका निर्धारण अधिनियम की धारा 9 के उपधारा (2) में व्यवस्थित परिषद् के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या द्वारा निम्नलिखित उप विनियम (1सी) की व्यवस्थाओं के अनुसार निर्धारित विधि द्वारा कुल सदस्यों की संख्या को विभाजित करके किया गया हो, एक होगी।

(1ए) यदि प्रत्येक निर्वाचन मंडल के सदस्यों में से चुनी गई संख्या, भिन्न संख्या पर विचार किए बिना पूर्ण संख्या के रूप में जोड़े जाने के बाद भी धारा (1) की उपधारा (2) में व्यवस्थित अधिकतम संख्या से कम है तो सर्वोच्च भिन्न सहित उस क्षेत्र की भिन्न संख्या को आकलन एक के रूप में किया जाएगा। इसके बावजूद भी अधिकतम संख्या का कुल योग कम रहने पर अगली सर्वोच्च भिन्न संख्या सहित उस क्षेत्र की भिन्न संख्या का आकलन एक के रूप में किया जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि धारा 9 की उप धारा (2) के अधीन चुने जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या उसके बराबर नहीं आ जाती।

(1बी) यदि प्रत्येक निर्वाचन मंडल के सदस्यों में चुनी गई संख्या, जोड़े जाने के उपरान्त भी अधिकतम संख्या के योग से कम रहती है और ठीक उसी भिन्न संख्या के साथ एक क्षेत्रीय निर्वाचन मंडल से अधिक क्षेत्रीय मंडल हैं तो उच्चतर सदस्य सदस्य संख्या वाले निर्वाचन मंडल पर भिन्न संख्या को एक के रूप में परिवर्तित की जाने वाली प्रक्रिया लागू होगी।

(1सी) उप विनियम (1) में उल्लिखित कुल सदस्य संख्या को निर्धारित जिस वर्ष चुनाव होने वाले हैं उससे पूर्ववर्ती वर्ष में धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन प्रकाशित सदस्यसूची की संख्या के आधार पर किया जाएगा।

(2) उप विनियम (1) में उल्लिखित प्रारूप के बावजूद भी प्रत्येक निर्वाचन मंडल से परिषद् के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम दो होगी।

आर० एल० चोपड़ा,
सचिव

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 15 सितम्बर 1987

सं० 21(80)/बी० आई० एफ० आर०/87—श्री सुभाष चन्द्र चुग, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड—1 चयनसूची, 1986) तथा संचार मंत्रालय, डाक विभाग में अवर सचिव को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में 11 जून 1987 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक अवर सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

दिनांक 17 सितम्बर 1987

सं० 21(21)/बी० आई० एफ० आर०/87—उद्योग मंत्रालय, तकनीकी विकास महानिदेशालय के कार्यालय के सहायक श्री एस० राय को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में 3 मार्च 1987 के अपराह्न से 2000—60—2300 द० रो०—75—3200—100—3500 के वेतनमान में प्रति-नियुक्ति के आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में स्थानापन्न तौर पर नियुक्त किया जाता है ।

ए० बी० सेनगुप्त,
निदेशक (प्रशासन)

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि०

(भारत सरकार का उद्यम)

नई दिल्ली—110019, दिनांक 7 सितम्बर 1987

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 यथा संशोधित की धारा 28(3) के अन्तर्गत योजना की अधिसूचना ।

सं० 01 : एल : 45—भारत सरकार द्वारा विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 यथासंशोधित के अधीन उत्पादन कम्पनी के रूप में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि० (इसके बाद उत्पादन कं० के रूप में पुकारा जाएगा) नई दिल्ली की स्थापना की गयी है ; विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 यथाशोधित की धारा 29(1) के साथ पठित धारा 31 के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की सहमति से कारपोरेशन ने उत्पादन केन्द्रों, टाई लाइनों, उप केन्द्र तथा पारेषण लाइनों आदि की स्थापना, निर्माण, प्रचालन तथा अनुरक्षण के संबंध में परियोजना के पहले चरण के अन्तर्गत जिसमें 210 मेगावाट की 6 यूनिटें हैं, निम्न योजना की स्वीकृति प्रदान की है ।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 28(3) के तहत उत्पादन कम्पनी को स्वीकृत योजना को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करना आवश्यक है। अतः उपरोक्त अधिनियम की धारा 28 (3) के अन्तर्गत उत्पादन कं० एतद्द्वारा योजना को प्रकाशित करती है जैसा कि नीचे दिया गया है ।

योजना का नाम :

(1) विंध्याचल (वैधान) सुपर थर्मल पावर स्टेशन पो० विंध्यानगर जिला सीधी (म० प्र०)—486885 (इसके बाद में इसे विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन के नाम से पुकारा जायेगा) इस परियोजना के पहले चरण में 210 मेगावाट की 6 यूनिटें होंगी ।

2. विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन से सम्बद्ध 400 के० वी० की पारेषण प्रणाली ।

योजना की मुख्य विशेषताएं

बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने तथा पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बिजली के कार्यक्रम की पूर्ति हेतु विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना केन्द्रीय क्षेत्र की राष्ट्रीय उत्पादन कं० द्वारा की जा रही है। इस योजना के पहले चरण में 210 मेगावाट की 6 उत्पादन यूनिटें होंगी । इन यूनिटों की खाके की योजना इस प्रकार की जाएगी कि बाद में इस केन्द्र का विस्तार 1000 मेगावाट और किया जा सके । विंध्याचल सुपर थर्मल पावर केन्द्र से उत्पादित बिजली को पारेषण लाइनों के जाल द्वारा बाहर भेजा जायेगा ।

अवस्थिति :—

विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन पो० विंध्यानगर जिला—सीधी (म० प्र०) पिन : 486885 में स्थित है। जिन स्थानों से होकर पारेषण लाइनें गुजरेंगी उनका ब्यौरा निम्नलिखित है :—

(क) 400 के० वी० डी० सी० लाइन वैधान से इटारसी तक जबलपुर होकर (1090 सी० सी० टी० कि० मी०) ।

(ख) 400 के० वी० एस० सी० लाइन इटारसी से असोज तक इंदौर होकर (520 सी० सी० टी० कि० मी०)।

(ग) 400 के० वी० एस० सी० लाइन वैधान से कोरबा (215 सी० सी० टी० कि० मी०)।

(घ) 132 के० वी० की वैधान-मोरवा पारेषण लाइन की अन्तिम उपकरण (25 सी० के० टी० कि० मी०)।

(ङ) 400 के० वी० (220 के० वी० के उप-केन्द्र जबलपुर तथा झांसी और उनका विस्तार इंदौर, असोज तथा कोरबा तक करने की स्थापना।

केन्द्रों को चालू करने की अनुसूची :

यूनिट सं० 1 और 2	1987-88
यूनिट सं० 3 और 4	1988-89
यूनिट सं० 5 और 6	1989-90

400 के० वी० की पारेषण लाइनों के संबद्ध निर्माण का कार्य विंध्याचल सुपर थर्मल पावर केन्द्र के उत्पादन शुरू होने के साथ पूरा हो जाएगा।

अनुमानित लागत :

विंध्याचल सुपर थर्मल पावर केन्द्र का अनुमोदन एन० टी० पी० सी० के निदेशक मण्डल ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की सहमति से निम्नलिखित अनुमानित लागतों के आधार पर किया है।

(1) परियोजना की अनुमानित लागत सरकार द्वारा अनुमोदित 1110.42
संबद्ध पारेषण प्रणाली सहित उत्पादन भाग की लागत 911.57

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 यथासंशोधित के अनुसरण में विद्युत (आपूर्ति) संशोधित अधिनियम 1976 के अधीन एन० टी० पी० सी० लि० एक उत्पादन कम्पनी में निहित शक्तियों का प्रयोग उपर्युक्त स्वीकृति योजना हेतु करेगा। एतद्द्वारा यह भी अधिसूचित किया जाता है कि विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 यथा संशोधित की धारा 42 के अधीन नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि० को उपर्युक्त स्वीकृति योजना को लागू करने के लिए तार फैलाने, खम्भे गाड़ने, बाह्य फिटिंग्स तथा विद्युत वितरण एवं पारेषण हेतु अन्य उपकरणों को लगाने के लिए अथवा ऊपर निर्दिष्ट क्षेत्रों में उत्पादक कम्पनी के कार्यों में सही समन्वयन हेतु भारतीय टेलिग्राफ अधिनियम 1985 के भाग-3 के अधीन टेलीग्राफ प्राधिकारी द्वारा अधिकृत टेलीग्राफ या टेलीफोनिक संचार के आवश्यक पारेषण हेतु सारी क्षमताएं प्राप्त हैं।

भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 12 से 16 तथा 18 और 19 के प्रावधान इसके लिए लागू नहीं होंगे।

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 यथासंशोधित की धारा 28(3) में निहित सांविधिक प्रावधानों के तहत उपरोक्त योजना की स्वीकृति आम जनता की जानकारी के लिए सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करके अधिसूचित की जाती है।

दर्शन कुमार बक्श
सचिव
नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि०

इण्डियन एयरलाइन्स : मुख्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 सितम्बर 1987

सं० फिन/कल्या/160/1801—इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों को आवास एवं ऋण सम्बन्ध में भारत के गजट भाग-III, अनुच्छेद-4, दिनांक 16 अगस्त, 1980 तथा तदोपरान्त भारत के गजट भाग-III-अनुच्छेद-4 में प्रकाशित संशोधन क्रमशः दिनांक 13 नवम्बर 1982, 27 अगस्त 1983, 8 फरवरी 1986 तथा 19 जनवरी 1987 में प्रकाशित हुए हैं :—

अध्याय II (व्यक्तिगत) विनियम 16—ऋण की पुनर्अदायगी : विनियम 16 पैरा (1) निम्नलिखित को संशोधित रूप पढ़ा जाए :

"इस विनियम के अन्तर्गत कर्मचारी को भुगतान की गयी ब्याज सहित ऋण राशि की अदायगी मासिक किस्तों में 20 वर्षों से अधिक या कर्मचारी के सेवा-निवृति के समय या इसमें से जो भी पहले हो की जाएगी। प्रथमतः ऋण राशि की अदायगी 180 मासिक किस्तों से अधिक तथा ब्याज की अदायगी 60 मासिक किस्तों से अधिक में नहीं होगी।

दया नारायण
सचिव

RESERVE BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE
URBAN BANKS DEPARTMENT
"THE ARCADE", WORLD TRADE CENTRE

Bombay-400005, the 10th September 1987

Ref. UBD.BR.91/A.18/87-88.—In pursuance of Sub-section (2) of Section 36A read with Clause (Za) of Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949, the Reserve Bank of India hereby notifies that the following salary earners' society has ceased to be a co-operative bank within the meaning of the said Act.

Name of the society	*State*
Seksaria Cotton Mills Workers' Co-operative Credit Society Ltd., Seksaria Cotton Mills Ltd., Delisle Road, Bombay-400013	Maharashtra.

B. L. JAIN, Chief Officer.

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Bombay, the 19th August 1987

No. ADM/38451.—The following appointment on the Bank's Staff is hereby notified :

Shri K. K. Das, Officer, Top Executive Grade Scale VI has assumed charge as Dy. General Manager, Central Stationery Department, Calcutta, with effect from August 12, 1987.

The 27th August 1987

No. ADM/38450.—The following appointment on the Bank's Staff is hereby notified :

Shri N. Narayanan, Officer, Top Executive Grade Scale VI has assumed charge as Dy. General Manager, Banking Operations Department, Central Office with effect from August 1, 1987.

The 3rd September 1987

No. ADM/38449.—The following appointment on the Bank's Staff is hereby notified :

Shri K. Srinivasa Rao, Officer, Top Executive Grade Scale VII has assumed charge as General Manager (Industrial Rehabilitation), Central Office, with effect from the 31st August 1987.

Sd/- ILLEGIBLE
(Personnel and H. R. D.)
Chief General Manager

REGIONAL OFFICE

New Delhi-110001, the 9th September 1987

ri G. C. Jain, JMGS.I assumed complete charge of Field er at G. T. Road, Shahdara branch on 9-12-1986.

ri P. S. Aggarwal, JMGS. I assumed complete charge of ountant at Rail Bhawan Branch on 15-1-87.

hri S. N. Sharma, MMGS. III assumed complete charge Branch Manager at K. G. Marg Branch on 4-12-86.

ri M. R. Malhotra, MMGS. II assumed complete charge Branch Manager at Seemapuri Branch on 13-7-85.

Shri K. K. Sexana, MMGS. II assumed complete charge of anch Manager at Inderpuri Branch on 26-2-87.

hri S. K. Kathuria, JMGS. I assumed complete charge of nch Manager at Gazipur Branch on 15-7-86.

hri V. R. Yadav, JMGS. I assumed complete charge of ccountant at K. G. Marg Branch on 9-7-86.

Shri S. D. Dhingra, MMGS. III assumed complete charge f Branch Manager at Gandhi Nagar Branch on 4-11-86.

Shri D. D. Arora, MMGS. III assumed complete charge of Branch Manager at Connaught Circus Branch on 15-11-85.

hri R. P. Sharma, JMGS. I assumed complete charge of Branch accountant at East Park Road Branch on 3-2-87.

Shri S. K. Gupta, MMGS. III assumed complete charge of Branch Manager at Marina Arcade Branch on 26-8-85.

ri P. P. Khurana, JMGS. I assumed complete charge of ountant at Marina Arcade Branch on 26-8-85.

hri B. L. Saluja, JMGS. I assumed complete charge of ountant at Nirman Bhawan on 20-5-85.

Shri J. N. Kapoor, JMGS. I assumed complete charge of nager (P) at Chanderlok Building Branch on 16-5-86.

Shri S. K. Kohli, JMGS. I assumed complete charge of Accountant on 15-4-86 at Chanderlok Building Branch.

Mrs. Usha Nair, MMGS. II assumed complete charge of Branch Manager at Mother Dairy Branch on 1-10-85.

Shri S. C. Khanna, MMGS. II assumed complete charge of Branch Manager at Pusa Road Shopping Centre on -87.

Shri C. M. Sethi, JMGS. I assumed complete charge of Accountant at Pusa Road Shopping Centre on 2-8-86.

Shri M. M. Malkani, JMGS. I assumed complete charge of Accountant at Inderpuri Branch on 15-12-86.

Shri S. K. Malhotra, MMGS. III assumed complete charge of Branch Manager at Central Sectt. Branch on 22-11-86.

Shri K. K. Aggarwal, JMGS. I assumed complete charge of Accountant at Hauz Qazi Branch on 26-7-85.

Shri P. K. Gandhi, MMGS. II assumed complete charge of Branch Manager at Padam Singh Road Branch on 18-3-87.

Shri J. G. Ahuja, MMGS. II assumed complete charge of Manager (PBD) at Padam Singh Road Branch on 31-7-85.

Shri S. C. Sikka, MMGS. II assumed complete charge of Manager (P) at Asaf Ali Road Branch on 30-7-86.

Shri C. Malhotra, JMGS. I assumed complete charge of Field Officer at Asaf Ali Road Branch on 1-12-86.

Shri I. D. Khanna, MMGS. II assumed complete charge of Branch Manager at D.M.S. Shadipur Branch on 24-4-86.

Shri K. G. Bhargava, JMGS. I assumed complete charge of Manager (P) at Krishna Nagar Branch on 11-10-86.

Shri J. P. Malik, JMGS. I assumed complete charge of Branch Manager at Ghonda Branch on 11-9-85.

Shri O. P. Vishnoi, MMGS. II assumed complete charge of Manager (SIB) at G. T. Road, Shahdara Branch on 26-2-87.

Shri I. C. Jain, MMGS. II assumed complete charge of Manager (P) at Central Sectt. Branch on 25-11-86.

Shri R. K. Mehrotra, MMGS. I assumed complete charge of Branch Manager at Swasthya Vihar Branch on 18-4-87.

Miss Sharmila Malkani, JMGS. I assumed complete charge of Accountant at Sansadiya Soudh Branch on 18-3-87.

Shri O. P. Nagpal, JMGS. I assumed complete charge of Accountant at Swasthya Vihar Branch on 2-4-87.

Shri A. K. Kochhar, JMGS. I assumed complete charge of Field Officer at Ajmal Khan Road Branch on 1-4-87.

Shri S. C. Kapoor, JMGS. I assumed complete charge of Branch Manager at Fatehpuri Branch on 21-4-87.

Shri B. K. Sarin, SMGS. IV assumed complete charge of Branch Manager at Ajmal Khan Road Branch on 20-4-87.

Shri Surinder Kumar, MMGS. II assumed complete charge of Branch Manager at East Patel Nagar Branch on 8-5-87.

Shri K. C. Jain, MMGS. III assumed complete charge of Branch Manager at New Rajinder Nagar Branch on 9-6-87.

Shri Jugal Kishore, JMGS. I assumed complete charge of Branch Manager at Nand Nagri Branch on 28-6-83.

Shri B. K. Chichra, JMGS. I assumed complete charge of Branch Manager at Chawri Bazar Branch on 11-4-85.

Shri M. P. Singh, JMGS. I assumed complete charge of Accountant at Fountain Branch on 13-2-87.

Shri S. K. Jain, JMGS. I assumed complete charge of Manager (P) at New Rohtak Road Branch on 11-6-87.

Shri J. S. Ahluwalia, SMGS. VI assumed complete charge of Branch Manager at Asaf Ali Road Branch on 29-7-87.

Shri B. R. Babbar, MMGS. III assumed complete charge of Branch Manager at Anaj Mandi Shahdara Branch on 30-7-87.

Shri H. Srivastava, MMGS. II assumed complete charge of Branch Manager at Municipal Market Karol Bagh Branch on 2-7-85.

Shri H. S. Johar, JMGS. I assumed complete charge of Field Officer at Municipal Market Karol Bagh Branch on 27-5-86.

Shri M. L. Aggarwal, MMGS. III assumed complete charge of Branch Manager at Chanderlok Building Branch on 10-8-87.

Shri R. S. Khurana, MMGS. II assumed complete charge of Branch Manager at I, O. C. Lodhi Estate Branch on 8-9-87.

Shri M. K. Nagpal, JMGS. I assumed complete charge of Accountant at C.G.O. Complex, Branch (Lodhi Estate) on 20-8-87.

Shri Narinder Nath, MMGS. II assumed complete charge of Branch Manager C.G.O. Complex Branch on 22-8-87.

For STATE BANK OF INDIA

ALOK BATRA
Regional Manager
Region-IV

ALLAHABAD BANK

Calcutta-700 001, the 14th September 1987

No. LEGAL/2/87.—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Allahabad Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Allahabad Bank (Officers') Service Regulations, 1979.

2. Short title and commencement :— (1) These regulations may be called the Allahabad Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 1986. (2) This has come into force w.e.f. 30-9-1986.

3.(a) Regulation 6(2) of the Allahabad Bank (Officers') Service Regulations, 1979 has since been substituted by the following :—

"6(2) : For the purpose of categorisation of posts under sub-regulation (1), every branch of the Bank shall be classified by the Bank, in accordance with the criteria to be approved by the Government, as small, medium, large, very large or exceptionally large category."

3.(b) At the beginning of Regulation 12(2) of the Allahabad Bank (Officers') Service Regulations, 1979 the words "save as provided in sub-regulation (3)" has since been added.

3.(c) After sub-regulation (2) of Regulation 12 of the Allahabad Bank (Officers') Service Regulations, 1979 the following sub-regulation has since been added :—

"(3) Any officer who has exercised option referred to in sub-regulation (1) and continues to draw pay and allowances according to his entitlement in the service of the Bank immediately prior to the appointed date, in terms of sub-regulation (2) shall be allowed to opt for pay and allowances as applicable under these regulations on and from 1-2-84. On exercising such option, he will be fitted notionaly on the appointed date into the new scale of pay in the manner referred to in Regulation 8 and after granting him the increments he would have received in terms of these regulations upto 31-1-84, he shall be fitted in the scale of pay set out in Regulation 4(1) as on 1-2-84 in accordance with the guidelines of the Government issued thereunder.

Provided that if the aggregate of pay and allowances payable under these regulations to the officer after fitment as above is lower than the aggregate of pay and allowances that were payable to him as on 31-1-84 before such fitment, the difference shall be paid to him as a Personal Allowance which shall be absorbed in the future increments to the extent of 33-1/3 percent of each such increment or 33-1/3 percent of the increase in the salary as a consequence of such increment, whichever is lower.

3.(d) The words "/Committees" or "/Special Committtees" have since been inserted after the words "Committee" or "Special Committee" wherever appearing in the Regulation 19 of the Allahabad Bank (Officers') Service Regulations, 1979.

3.(e) The Regulation 30 of the Allahabad Bank (Officers') Service Regulations, 1979 has since been substituted by the following :—

"30. The Bank may allow 1% additional rate of interest over its ruling rate of interest on Fixed Deposits, Savings Deposits and Recurring Deposits in the name of an officer, individually or jointly with any member of his family."

M. R. SARBADHIKARI
Asstt. General Manager (Law)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110 002, the 23rd September 1987

(CHARTERED ACCOUNTANT)

No. 1-CA(7)/160/87.—The following draft of certain amendments to the Chartered Accountants Regulations, 1964, which it is proposed to make in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (XXXVIII of 1949), is published for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the draft will be taken up for consideration on or after 31*st October*, 1987.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the specified date will be considered by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India :

In the said Regulations, for the existing Regulation 63, substitute the following ;—

"63. *Number of members to be elected* :

(1) The number of members to be elected from each regional constituency shall be one member for such number of members in the constituency as may be determined by dividing the total number of members, as determined in accordance with sub-regulation (1C) below by the maximum number of members to be elected to the Council as provided in sub-section (2) of Section 9.

(1A) In case the resultant number of members for each constituency, after being added up in terms of the absolute number without considering the fraction, is less than the maximum number as provided in sub-section (2) of Section 9, the fraction in respect of the region with the highest fraction will be counted as one. In case the total is still less than the maximum number, the fraction in respect of the region with the next highest fraction will be counted as one. This process will be continued until the total is equal to the maximum of members to be elected under sub-section (2) of Section 9.

(1B) In case the resultant number of members for each constituency, after being added up, is less than the maximum number of members and there are more than one regional constituency with exactly the same fraction, the constituency with a higher number of members will have precedence in the matter of conversion of the fraction into one.

(1C) The total number of members referred to in sub-regulation (1), shall be determined with reference to the number of members in the list of members published under sub-section (3) of Section 19 in the year immediately preceding the year in which the election is to be held.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), each constituency shall have at least two person elected therefrom to the Council."

R. I. CHOPRA
Secretary

BOARD FOR INDUSTRIAL AND FINANCIAL RECONSTRUCTION

New Delhi, the 15th September 1987

No. 21 (80)/BIFR/87/318.—Shri Subhash Chander Chugh, C.S.S. (Grade-I Select List 1987) and Under Secretary in the Ministry of Communications, Department of Posts is appointed as Under Secretary in the Board for Industrial and Financial Reconstruction with effect from the forenoon of 11th June, 1987, until further orders.

The 17th September 1987

No. 21(21)/BIFR/87.—Shri S. Roy, Assistant in the office of The Directorate General of Technical Development, Ministry of Industry is appointed to officiate as Section Officer in the Board for Industrial and Financial Reconstruction in the scale of pay of Rs. 2000-60-2300-75-3200-100-3500 with effect from the afternoon of 3rd March, 1987 on deputation basis.

A. B. SENGUPTA
Director (A)

NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LTD.

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISES)

Notificatio of the Scheme Under Section 28 (3) *of Electricity (Supply) Act,* 1948 *as Amended*

New Delhi-110 019, the 7th September 1987

No. OI/L/7.—WHEREAS National Thermal Power Corporation Ltd., New Delhi a Generating Company set up by the Government of India under the Electricity (Supply) Act, 1948 as amended (hereinafter called as Generating Company has santioned the following scheme relating to the establishment, construction, operation and maintenance of Generating Station, tie-lines, sub-station and Transmission lines etc. consisting of 6 units of 210 MW each under first stage of the Project with the concurrence of Central Electricity Authority under Section 31 read with Section 29(1) of the Electricity (Suply) Act, 1948, as amended.

AND WHEREAS under Section 28(3) of the said Act, the Generating Company is required to publish the sanctioned scheme in the official Gazette.

Now, therefore the Generating Company hereby publishes the scheme in terms of Section 28(3) of the aforesaid Act as under :—

Name of the Scheme

1. Vindhyachal (Waidhan) Super Thermal Power Station consisting of 6 units of 210 MW each under first stage of the Project at P.O. Vidhyanagar Distt. Sidhi (MU)—486885 (hereinafter called Vindhyachal Super Thermal Power Station).

2. 400 KV Transmission system associated with Vindhyachal Super Thermal Power Station.

Salient Features of this Scheme

To meet the growing demand for power and to supplement the power programme of the States of Western Region Vindhyachal Super Thermal Power Station is being set up by Generating Company in the Central Power Sector by installing six generating units of 210 MW each under the first stage of the project. The lay out plan for these units would be done in such a way that the station is expanded by another 1000 MW subsequently. The power generated by the Vindhyachal Super Thermal Power Station will be evacuated through transmission line networks.

Location

The Vindhyachal Super Thermal Power Station is located at P.O. Vindhyanagar Distt. Sidhi (MP)-486885. The places through which transmission lines will pass are given below :—

(a) 400 KV D/C line from Waidhan to Itarsi via Jabalpur (1090 CCT Km.).

(b) 400 KV S/C line from Itarsi to Asoj via Indore (520 CCT Km.).

(c) 400 KV S/C line from Waidhan to Korba (215 CCT Km.).

(d) The terminal equipment for the same and 132 KV Waidhan Morwa Transmission Line (25 CKT Km.).

(e) Establishmnet of 400 KV/220 KV Substations at Jabalpur and Itarsi and extension of bays and provision of equipment at Indore, Asoj and Korla.

Commissioning Schedule of Station

Units No. 1 & 2 1987-88

Units No. 3 & 4 1988-89

Units No. 5 & 6 1989-90

The construction of the associated 400 KV Transmission network will be completed to match the schedule of commissioning of the generating units of the Vindhyachal Super Thermal Power Station.

Estimated Cost

The Vindhyachal Super Thermal Power Station was approved by the Board of Directors of National Thermal Power Corporation Ltd., A Government of India Enterprise with the concurrence of Central Electricity Authority at the following estimated costs :—

(1) The estimated cost of the Project :—
as approved by Government.....Rs. 1110.42
(Rs. 911.57 crores for generation portion and Rs. 198.85 crores for the associated transmission system).

In pursuance of the Electricity (Supply) Act, 1948 as amended by the Electricity (Suply) Amended Act, 1976, National Thermal Power Corporation Ltd. shall exercise all the powers vested in a Generating Company under the said Act for purposes of aforesaid sanctioned schemes. It is further notified that the National Thermal Power Corporation Ltd. while undertaking and executing the sanctioned schemes, shall have all the powers for placing of wires, poles, wellbrackets, stays apparatus and other appliances for transmission and distribution of electricity or for transmission of telegraphic or telephonic communication necessary for the proper co-ordination of the works in terms of Section 42 of the Electricity (Supply) Act, 1948 as amended, of the Generating Company in the area of indicated above which the Telegraphic Authority possesses under Part-III of the Indian Telegraphic Act, 1885 in respect of a telegraph established or maintained notwithstanding the provisions of Section 12 to 16, 18 and 19 of the Indian Electricity Act, 1910.

D. K. BEBBER
Secretary
National Thermal Power Corporation

INDIAN AIRLINES HEADQUARTERS

New Delhi, the 21st September 1987

No. Fin/Rules/160/1801.—The following amendments may be made in the Indian Airlines Staff Housing Loan Regulations as published in the Gazette of India, Part III—Section 4, dated the 16th August, 1980 and subsequent amendments published in the Gazette of India, Part III—Section 4, dated the 13th November, 1982, 27th August, 1983, 8th February, 1986 and 19th January, 1987, respectively :—

Chapter II (INDIVIDUAL)—Regulation 16. *Repayment of Loan*

Para (1) of Regulation 16 may be amended to read as under :—

"The loan granted to an employee under these Regulations together with interest thereon shall be repaid in full by monthly instalments within a period not exceeding 20 years or before the employee's retirement whichever is earlier. Firstly recovery of the loan shall be made in not more than 180 monthly instalments and the interest shall be recovered in not more than 60 monthly instalments instalments".

DAYA NARAIN
Secretary

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1987